

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह

विशेष सचिव

30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक :2) सितम्बर 2016

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2720/148/10/छ:/विविध/आसरा/तकनीकी दिनांक 06 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित बजट से जनपद-बरेली की निकाय-शेरगढ़ की 36 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 19 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-237/2015/516/69-1-15-40(आसरा-37)/2015 दिनांक 14 मार्च, 2015 द्वारा रु0 99.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 49.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 49.60 लाख (रूपये उनचास लाख साठ हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि (सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	बरेली/शेरगढ़	36	187.95	19	99.20	49.60
योग				19	99.20	49.60

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।

(Handwritten signature)


-2/

FE

28/9/16

296/FE 135


13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओप्रओ, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एमओओयू) निष्पादित किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-00-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016 दिनांक 29.08.2016 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।*

संख्या-609/2016/2024(1)/69-1-16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों), प्रथम, उओप्रओ.20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उओप्रओ, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उओप्रओ शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बरेली।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उओप्रओ शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उओप्रओ शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओप्रओ, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट सन्वयक।

आज्ञा से,

(एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।